

बिहार सरकार
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
आदेश

संख्या— वि० प्रा० (III) निजी—58/2024/ 1437 /पटना, दिनांक— 26/3/25

श्री अभिषेक आनंद, व्याख्याता (असैनिक अभि०), राजकीय पोलिटेकनिक, पश्चिम चम्पारण का दिनांक—17.09.2024 से दिनांक—26.09.2024 तक कुल—10 दिनों का बिहार सेवा संहिता के नियम—232 के अधीन 20 दिनों का अर्द्धवैतनिक अवकाश स्वीकृत करते हुए बिहार सेवा संहिता के नियम—234 के अधीन कुल—10 दिनों का पूर्णवैतनिक अवकाश एवं दिनांक—27.09.2024 से दिनांक—02.10.2024 तक कुल—06 दिनों का बिहार सेवा संहिता के नियम—227 तथा 228 में निहित प्रावधानों के अधीन उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

श्री अभिषेक आनंद, व्याख्याता (असैनिक अभि०), राजकीय पोलिटेकनिक, पश्चिम चम्पारण का शेष आदेय अवकाश का विवरणी निम्नवत् है :—

क्र०	छुट्टी के प्रकार	दिनांक—02.10.2024 तक आदेय अवकाश	अभियुक्ति
1.	उपार्जित अवकाश	09 दिन	
2.	अर्द्धवैतनिक अवकाश	00 दिन	
3.	रूपान्तरित अवकाश	00 दिन	

2. वित्त विभाग परिपत्र संख्या—5632 दिनांक—26.06.2015 में निहित शर्तों के अधीन अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व एवं योगदान करने के पश्चात वेतन पुर्जा निर्गत कराना अनिवार्य है।

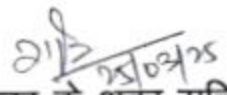
3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


(गोपाल प्रसाद साह)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक — वि० प्रा० (III) निजी—58/2024/ 1437 /पटना, दिनांक— 26/3/25

प्रतिलिपि— प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, पश्चिम चम्पारण एवं संबंधित व्याख्याता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक — वि० प्रा० (III) निजी—58/2024/ 1437 /पटना, दिनांक— 26/3/25

प्रतिलिपि— कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पश्चिम चम्पारण/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

